


फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान कोटक महिन्द्रा बैंक लि० बनाम मै० दिव्या इन्फाटेक

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र रिब्यू नम्बर 15/32/2019

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
02.07.19	<p>आज यह प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2018 को एक पक्षीय पारित किया गया है। प्रकरण संख्या 15/108/18 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ प्रार्थी फर्म को पक्षकारन संख्या 3 के रूप में जोडकर व प्रकरण में प्रार्थी कोटक महिन्द्रा लि० को सुनकर दिनांक 30.11.2018 को रिब्यू किया जावे। उक्त आदेश के जरिए अमल में लाई गई समस्त राशि को गैरकानूनी फरमाया जाकर उनको अपास्त किया जावे।</p> <p>हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.04.2019 में संलग्न दस्तावेजता एवं बहस पर मनन किया।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के संबंध में पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2018 को आदेश दिये जा चुके है कि धारा 14 सिक्योरटाईजेशन एक्ट का स्रोत सीमित है। इस में secured creditor को रहन सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु वांछित सहायता उपलब्ध करवाना होता है। ऋण देने ओर लेने वाले के बीच में रहन रखी सम्पत्ति बाबत निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। यदि आवेदक इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2018 से आहत है तो धारा 17 में डी०आर०टी० जयपुर में अपील करने के लिए स्वतंत्र है।</p> <p>अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2018 में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी मै० दिव्या इन्फाटेक जरिये भागीदार महेन्द्र जैन पुत्र श्री ज्ञान चन्द जैन ए-9 शान्तिकुंज अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र रिब्यू खारिज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 02-07-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर, अलवर।</p>	